**दीवानी वाद संख्या 60/2010**
**सी.आई.एस. पंजीयन संख्या–385/2021**
**नरसिंह बनाम श्रीमती मुन्नी देवी व अन्य**



| | | |
|---|---|---|
| | | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| | **दिनांक 27–01–2026**<br>अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित।<br>इस आदेश के द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांक 17–12–2025 का निस्तारण किया जा रहा है।<br>अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावे में वादग्रस्त संपत्ति की पहली, दूसरी व तीसरी मंजिल का स्वामी व कब्जेदारी होना बताया है। तनकी संख्या 5 नेमीचंद के स्वामित्व के संबंध में विरचित की गई है। अतः प्रतिवादीगण के पास स्व. नेमीचंद के वादग्रस्त संपत्ति के मालिकाना हक के जो भी दस्तावेज है, वह तलब कर प्रकटटीकरण करवाया जाना न्यायोचित व विधि सम्मत है एवं उक्त दस्तावेज वादी की साक्ष्य (जिरह) प्रारंभ होने से पूर्व तलब कर प्रकटटीकरण करवाया जाना आवश्यक है। उक्त दस्तावेज प्रतिवादीगण के कब्जे व अधिपत्य में है चूंकि प्रतिवादीगण अपने आपको स्व. नेमीचंद की तथाकथित वसीयत से अपने आप को मालिक व स्वामी बताते हैं। उक्त दस्तावेज को तलब करने से प्रतिवादीगण के विधिक अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि उक्त दस्तावेज से वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी व न्यायालय मौजूदा वाद का निस्तारण गुणावगुण पर कर सकेगा। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेज को तलब करवाए जाने का निवेदन किया।<br>अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी ने पूर्व में भी एक प्रार्थना पत्र दिनांक 16–05–2025 को अंतर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया जिसमें पैरा संख्या 2 व 3 में वर्णित कथनों से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण स्व. सेठ नेमीचंद के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 02–04–2003 के आधार पर मालिक व कब्जाधारक है तथा उक्त वसीयत वादीगण के कब्जें एवं शक्ति में नहीं है। वादी का प्रार्थना पत्र रेसज्यूडिकेटा से बाधित है, वादी येनकेन प्रकरण में अपनी साक्ष्य नहीं करवाना चाहता है, मामले को विलंबित करना चाहता है। वादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जा चुका है फिर भी समान आधारों पर दुबारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 02–04–2003 के आधार पर मालिक व कब्जाधारक है तथा उक्त मूल वसीयत जिला न्यायाधीश के डबल लॉक में आज भी विद्यमान है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हैवी | |

Authenticated Document

कॉस्ट पर खारिज कि जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र के जरिए स्वर्गीय नैमीचंद को जिस दस्तावेज के आधार पर विवादित संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त हुआ है, को प्रतिवादीगण से तलब कराए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे को देखे जाने से यह प्रकट होता है कि प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में स्वर्गीय नैमीचंद को वादग्रस्त भवन की मंजिल संख्या 1, 2 व 3 का स्वामित्व व कब्जा दिनांक 09–06–2000 को प्राप्त होना दर्ज किया गया है परंतु उक्त दिनांक को उक्त स्वामित्व किस दस्तावेज के आधार पर प्राप्त हुआ है, के संबंध में अपने जवाब दावे में कोई खुलासा नहीं किया गया है। विपरीत पक्ष द्वारा मूल रूप से यह आपत्ति ली गई है कि प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में उक्त वसीयत दिनांक 02–04–2003 को तलब कराए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था और पुनः उसी आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है, जो रेसज्यूडिकेटा से ग्रस्त होता है।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 30–05–2025 को आदेश 11 नियम 12 व 14 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांकित 16–05–2025 को निस्तारित किया गया है, जिसके जरिए प्रार्थी/वादी द्वारा वसीयत दिनांक 02–04–2003 को प्रतिवादीगण से तलब कराई गई थी। प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं के कब्जे से इंकार किए जाने पर प्रार्थना पत्र को उक्त आधार पर अस्वीकार किया गया है और प्रतिवादीगण को उक्त आशय का शपथपत्र पेश करने के लिए निर्देशित किया गया। अतः प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण का यह कथन कि उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेसज्यूडकेटा की श्रेणी में आता है, यह बेबुनियाद कथन है क्योंकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वर्गीय नेमीचंद के मालिकाना हक के दस्तावेज को तलब कराए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जबकि पूर्व प्रार्थना पत्र को स्वयं के मालिकाना हक के दस्तावेज के आधार पर नेमीचंद के द्वारा जो वसीयत दिनांक 02–04–2003 को कायम गई, उक्त दस्तावेज को तलब कराया गया था।

जहां तक प्रार्थना पत्र के वेग होने की आपत्ति की गई है, यह कथन भी बैबुनियाद है क्योंकि प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से स्व. नेमीचंद के मालिकाना हक का दस्तावेज तलब किया गया है, चूंकि जवाब दावे में स्वयं प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त दस्तावेज की पहचान खोली नहीं गई है। अतः इस संबंध में दस्तावेज की पहचान प्रार्थना पत्र के जरिए भी नहीं बताया जा सकना प्रतीत होता है। अप्रार्थी/प्रतिवादीगण ने स्वयं के जवाब के जरिए इस संबंध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किया है कि स्व. नेमीचंद के

| | | |
|---|---|---|
| | द्वारा वसीयत दिनांक 02–04–2003 लिखे जाने से पूर्व किस प्रकार का वादग्रस्त संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त किया था, मात्र यह जाहिर किया है कि दिनांक 09–06–2000 को स्व. नेमीचंद वादग्रस्त भवन की मंजिल संख्या 1, 2, 3 के स्वामी व पहली मंजिल के कब्जेधार हो गए थे।<br>अतः स्वयं प्रतिवादीगण/अप्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि उक्त वांछित दस्तावेज उनके कब्जे में है अथवा नहीं?<br>प्रकरण न्यायालय के लक्षित प्रकरणों में शामिल है। अतः आगामी पेशी पर शपथ पत्र पेश होने पर पुनः बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाएगा।<br>पत्रावली वास्ते पेश होने शपथ पत्र में दिनांक ..... को पेश हो।<br><br>**(डॉ. रेनू श्रीवास्तव)**<br>अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01, अजमेर<br><br>SHAILENDRA KRISHANA PAREEK<br>Digitally signed by SHAILENDRA KRISHANA PAREEK<br>Date: 2026.01.31 15:35:19 +0530 | |
| | | |